Result Mitra Daily Magazine

दक्षिण-चीन सागर

- **हालिया संदर्भ :**
- हाल ही में फिलीपींस सरकार ने चीन पर दक्षिण चीन सागर (SCS) में बार-बार आक्रामक, गैर-पेशेवर एवं अवैध कारवाई करने का आरोप लगाया।
- फिलीपींस सरकार का यह बयान पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच हुए हवाई एवं समुद्री झडपों के बाद आया है।

- **दक्षिण चीन सागर विवाद :**
- SCS चीनी मुख्य भूमि से ठीक दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर और वियतनाम से मिलती है।
- ये सभी देश सदियों से समुद्र में क्षेत्रीय नियंत्रण के लिये संघर्षरत से हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह तनाव चरम-सीमा पर पहुँच गया है, जिसका प्रमुख कारण चीन के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है।
- SCS रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से है और चीन इस क्षेत्र पर दावा करते हुए लगातार अपना नियंत्रण बढा रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अन्य देशों को बिना सहमति के कोई भी सैन्य या आर्थिक अभियान SCS में चलाने से रोका है।
- चीन के अनुसार SCS उसके EEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में आता है।
    - Note :- किसी भी देश का EEZ उसके समुद्री बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील (370 km) तक विस्तृत होती है।
- चीन के EEZ के दावों को अन्य देशों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया गया है, लेकिन जवाब में चीन ने द्वीपों के आकार को कृत्रिम रूप से बढा दिय है या समुद्र में कई नए कृत्रिम द्वीप ही बना दिये हैं।
- SCS में मौजूद पैरासेल एवं स्प्रैंटली द्वीप में चीन ने सैन्य प्रतिष्ठान एवं हवाई पट्टियाँ भी बना ली है।
- बुडी द्वीप पर चीन ने लडाकू जेट, क्रूज मिसाइल एवं रडार सिस्टम तैनात कर इसका सैन्यीकरण कर दिया है।
-

- **USA का रवैया :**
- चीन के दावों का विरोध करने के साथ USA ने अपने आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा के लिये SCS विवाद में हस्तक्षेप किया है।
- इसने न केवल SCS के आस-पास क्षेत्रों में नौसेना गश्त भी बढाई है, बल्कि चीन-विरोधियों को हथियार एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान की है।
- USA ने हाल में अपने विमानवाहक पोत को भी इस क्षेत्र में भेजा है, जिस पर जवाब देते हुए USA ने कहा था कि उनके युद्धपोतों की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है और ये जहाज क्षेत्र में नौवहन मार्गों की रक्षा कर रहे हैं।
- USA स्पष्टतः कह चुका है कि SCS में चीन का रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं है और वह अपने सहयोगी फिलीपींस के साथ खडा है।
- USA ने SCS के कई देशों जैसे-फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर एवं ताइवान के साथ सुरक्षा गठबंधन किए हैं, ऐसे में SCS का कोई भी विवाद उसके हितों को प्रभावित करेगा।

- **SCS का महत्व :**
- यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इन्फॉर्मेशन एजेंसी के अनुसार SCS में 11 बिलियन बैरल तेल (1बैरल =159 लीटर) और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार है।
- SCS में मछली पकडने वाले कई समृद्ध क्षेत्र हैं, जो लाखों लोगों के साथ और आजीविका के साधन है।
- BBC के अनुसार दुनिया के 50% से ज्यादा मछली पकडने वाले जहाज इसी क्षेत्र में चलते हैं।
- वैश्विक व्यापार का लगभग 21% भाग SCS से गुजरता है।
- चीन के ऊर्जा आयात का लगभग 80% एवं चीन के कुल आयात का लगभग 40% इसी क्षेत्र से गुजरता है।
- SCS हिन्द महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच लिंक रूट का भी कार्य करता है, जो आर्थिक के साथ-साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

- **Nine-Dash Line (NDL) :**
- ये 9 सीधी लकीरों (Dash) से SCS में प्रदर्शित क्षेत्र विस्तार है, जो वियतनाम के पूर्व-मध्य भाग के SCS से शुरू होकर इंडोनेशिया के उत्तरी, मलेशिया के दक्षिण-पश्चिमी तट से होते हुए फिलीपींस के पश्चिमी तटों के सहारे एक String जैसा आकार ले लेता है।

Result Mitra TM

- एक प्रकार से यह SCS के चीन-नियंत्रित (दावा) वाले क्षेत्र की विस्तारित सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।
- 1947 में राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी ने NDL के साथ एक मानचित्र जारी किया था, जो चीन के दावे वाले जल एवं द्वीपों का सीमांकन करता है।
- चीन SCS के 90% भाग पर दावा करता है।
- कउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) के मुताबिक पूर्व में 11 Dash Line थी, लेकिन 1953 में Chinese Communist Party (CCP) के नेतृत्व वाली सरकार ने टोंकिन की खाडी को घेरने वाली 2 Dash Line को हटा दिया।
- ये Dash Line चीनी मुख्य भूमि से 2000km की दूरी पर है, लेकिन मलेशिया, फिलीपींस एवं वियतनाम से कुछ सौर किलोमीटर की दूरी पर है।

- NDL का निर्धारण :
- इन रेखाओं का सीमांकन एवं SCS के द्वीपों पर दावा चीन के ऐतिहासिक समुद्री अधिकारों पर आधारित है।
- चीन ने कभी भी इन रेखाओं का स्पष्ट निर्देशांक (अक्षांशीय-देशांतरीय विस्तार) नहीं बताया है एवं ये सभी लाइन संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों पर संधि (UNCLOS) के सीमा से कई किमी आगे तक विस्तृत है।
- चीन स्वयं UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन वह इसके सिद्धांतों का कथित तौर पर उल्लंघन कर रहा है।

- विशेष द्वीप एवं विवाद :
- स्कारबोरो शोल :
- अन्य नाम हुयांगयान द्वीप है, जो फिलीपींस के EEZ के अंतर्गत आता है।
- बीजिंग का दावा है कि 2000 वर्ष पहले चीनी नाविकों ने इस द्वीप की खोज की थी।
- चीन का दावा है कि 960-1279 तक सांग राजवंश से लेकर आधुनिक काल के चीनी राजवंशों का इस द्वीप पर शासन रहा है।
- पैरासेल और स्प्रैंटली :
- चीन का कहना है कि ये द्वीप सदियों से चीन का अभिन्न हिस्सा रहे है।
- वियतनाम का दावा है कि उसने इन द्वीपों पर 17वी शताब्दी से सक्रिय रूप से शासन किया है।
- इन द्वीप समूहों के कई द्वीपों पर ब्रुनेई, ताइवान, मलेशिया एवं फिलीपींस भी दावा करते हैं।

TM Result Mitra

- **2016 का फैसला :**
- स्कारबोरो शोल विवाद पर फिलपींस द्वारा चीन को जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में ले जाया गया तो न्यायाधिकरण ने एक तरह से 9 Dash Line को खारिज कर दिया एवं चीन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोडने का आरोप तय हुआ।
- दिलचस्प यह है कि न्यायाधिकरण का निर्णय बाध्यकारी प्रवृत्ति का था, लेकिन किसी प्रवर्तन (Enforcement) तंत्र नहीं हो पाने के कारण कुछ विशेष नहीं हुआ।
- चीन ने यह कहते हुए इस फैसले का विरोध किया कि न्यायाधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
    - Note :- SCS वास्तव में पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है।
- SCS पूर्वी चीन सागर से ताइवान जलसंधि (Strait) एवं लूजॉन जलसंधि द्वारा फिलीपींस सागर से जुडा हुआ है।

- **काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) :**
- USA की विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित थिंक टैंक,
- 1921 में स्थापित,
- स्वतंत्र एवं गैर-दलीय तथा गैर-लाभकारी संगठन
- HQ न्यूयॉर्क सिटी

- **UNCLOS :**
- UN द्वारा 1982 में इस संधि को अपनाया गया,
- नवम्बर 1994 से यह कानून लागू हुआ।
- यह संधि विश्व के सागरों एवं महासागरों पर देशों के अधिकारों का निर्धारण करता है।
- प्रादेशिक सीमा (बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील), आंतरिक जल (बेसलाइन के भूमि के पास स्थित द्वीप या खाडी) तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानि EEZ (बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील) के रूप में संबंधित देशों के जल क्षेत्रों का निर्धारण
- EEZ के बाद का जल-क्षेत्र High Sea (उच्च समुद्र) के नाम से जाना जाता है, जिस पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है।
- भारत ने UNCLOS पर 1995 में किया।

Result Mitra

- UNCLOS के संधियों को लागू करने के लिये 1996 में ISA यानि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Sea bed Authority) अस्तित्व में आया।
- सभी UNCLOS के देश ISA के सदस्य होते हैं।
- वर्तमान में 169 सदस्य (168 देश + यूरोपियन संघ) हैं।
- ISA का HQ किंग्सटन, जमैका से है।